महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के पीड़ितों को मिली 112 की सहायता

न्याय साक्षी/रायगढ़। डोंगरीपाली राइनो को आज दिनांक 18.10.2019 के सुबह 11:00 बजे ग्राम लेन्ध्रा के पास रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर रवाना किया गया। जहां मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ वृद्धा पेंशन लेने जा रही श्रीमती फगनी डनसेना उम्र 60 साल निवासी अमोदा थाना बरमकेला व उसके बेटे सुशील डनसेना उम्र 44 साल लेन्ध्रा के पास ट्रैक्टर से टकरा गये थे। आहतों को आरक्षक पीलुस एक्का थाना डोंगरीपाली द्वारा ईआरवी वाहन में बिठाकर बरमकेला सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

मोटरसाइकिल दुर्घटना के घायल युवकों को 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम बरखोडिया थाना लैलूंगा में रहने वाले लोचन राठिया पिता गणेश राठिया उम्र 19 साल अपने साथी परमिल राठिया पिता आत्माराम राठिया उम्र 19 साल के साथ घरघोड़ा से अपने घर बरखोडिया जा रहे थे कि रास्ते में कुंजारा के पास अज्ञात मोटरसाइकिल का चालक इन्हें ठोकर मार कर भाग गया। दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों को आरक्षक बीरबल टोप्पो थाना लैलूंगा द्वारा ईआरवी वाहन में बिठाकर सीएचसी लैलूंगा में भर्ती कराया गया है।

युवती को व्हाटसअप पर भद्दे कमेंट्स, शिकायत पर मोबाईल धारक के विरूद्ध कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में 37 वर्षीय युवती द्वारा उसके मोबाइल पर व्हाटसएप मैसेन्जर के जरिये अनजान मोबाईल नम्बर 626018××××× के धारक द्वारा कई दिनों से गंदे मैसेजेस भेजकर परेशान करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर मोबाईल धारक के विरूद्ध अप.क्र. 908/19 धारा 507, 509 (बी) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सारंगढ़ पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ स्टाफ द्वारा दिनांक 16.10.2019 के रात्रि करीब 23:00 बजे ग्राम झारपाली रंगमंच के सार्वजनिक स्थान पर जुआडियान 1. लक्ष्मी कुमार पिता दौलत राम चन्द्रा उम्र 44 वर्ष साकिन झारपाली थाना सारंगढ ,2, पीताम्बर सिदार पिता कपिलनाथ सिदार उम्र 32 वर्ष साकिन झरपडीह थाना सारंगढ, 3. त्रिलोचन चन्द्रा पिता गौरीशंकर चन्द्रा उम्र 27 वर्ष साकिन झारपाली थाना सारंगढ 4. गोपाल सिदार पिता राजाराम सिदार उम्र 29 वर्ष साकिन बेलटिकरी थाना सारंगढ, 5. खुशीराम यादव पिता निरंजन यादव उम्र 35 वर्ष साकिन झारपाली थाना सारंगढ , 6. फुल कुमार चन्द्रा पिता रामलाल चन्द्रा उम्र 48 वर्ष साकिन झारपाली थाना सारंगढ को 52 पत्तीर तास से काट पत्ती नामक जुआ खेलते हुये पकड़े। इनके फड़ एवं पास से जुमला नगदी रकम 2930 रूपये एवं 52 पत्ती तास जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना सारंगढ़ में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

बालिका लापता, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में 14 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट उसकी मां द्वारा दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता बतायी कि इसकी लड़की दिनांक 15.10.2019 के सुबह 08:00 बजे घर में बिना बताये कहीं चली गई है। जिसे आसपास गांव तमनार, कसडोल, गोढी, रायगढ क्षेत्र एवं रिश्तेदारो में खोजबीन किया गया आज दिनांक तक नही मिली है। रिपोर्ट पर अप.क्र. 206/19 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

दीवाल सेंधकर दुकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा में रिपोर्टकर्ता तुलसी केशरवानी उम्र 39 वर्ष वार्ड क्रमांक 10 महेतपारा घरघोडा द्वारा अपने जनरल स्टोर्स में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि रायगढ़ रोड में केशरवानी जनरल स्टोर्स के नाम पर इनकी दुकान है। दिनांक 17.10.19 के रात्रि करीबन 8.00 बजे दुकान बंद कर घर चले गये थे। आज दिनांक 18.10.19 को सुबह करीब 8.30 बजे दुकान खोले तो देखे उपर का दूसरा तल का दिवाल तोड़कर(सेंधमारी) कोई अज्ञात चोर कांउटर के गल्ला दराज में रखा 3000 रूपये नगद एवं 2000 रूपये का सिक्का को चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना घरघोडा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 197/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम.के.राउत, राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार और अशोक अग्रवाल जिले के विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। कार्यशाला 19 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्टोरेट कार्यालय रायगढ़ के सभाकक्ष (सृजन) में आयोजित की गयी है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कार्यशाला में समय पर उपस्थित होने निर्देशित किया।

ग्राम-पारेमेर में 26 अक्टूबर को आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम-पारेमेर में 26 अक्टूबर को आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन

रायगढ़ विकासखण्ड के प्राथमिक शाला विजयपुर के लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह को प्रथम पुरस्कार

न्याय साक्षी/रायगढ़। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्री मीट्रिक बालक छात्रावास में जिला स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सौम्या यशवंत ने मध्यान्ह भोजन के सभी प्रतिभागी रसोईयों से कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई एवं स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अच्छा गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन मिले। भोजन बनाते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना शासन

की महत्वपूर्ण योजना है। जिससे निश्चित ही शाला त्यागी बच्चों की संख्या में कमी आयी है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा कि आज जिस मेहनत, लगन एवं समर्पण से आपने भोजन बनाया है उसी मेहनत से बच्चों के लिए प्रतिदिन बनायें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश देवांगन ने कहा कि मध्यान्ह भोजन से बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोजन पौष्टिकता, प्रोटीन एवं विटामिन से परिपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन में हरी सब्जियों का ज्यादा-ज्यादा उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों का मीनू प्रस्तुतिकरण बेहद अच्छा था। सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है। इस योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। उन्होंने बताया कि इस मध्यान्ह भोजन रसोइया कार्यक्रम में 9 विकासखण्ड के प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में रायगढ़ विकासखण्ड के प्राथमिक शाला विजयपुर के लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह की श्रीमती उषा सिदार एवं श्रीमती ललिता भुमिया को प्रथम पुरस्कार, तमनार विकासखण्ड के माध्यमिक शाला तमनार के महिला स्व-सहायता समूह के श्रीमती बसंती साहू एवं श्रीमती रम्भा साव को द्वितीय पुरस्कार, धरमजयगढ़ विकासखण्ड के माध्यमिक शाला डुगरूपारा के अंजली स्व-सहायता समूह के श्रीमती भावना सावरकर एवं श्रीमती सहोद्रा देहरी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर शेष 6 विकासखण्डों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य राजेश डेनियल ने किया तथा मध्यान्ह भोजन के नोडल अधिकारी शैलेन्द्र कर्ण ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर निर्णायकगण सुश्री दर्शना पोपट एवं रेखा अग्रवाल सहित नागरिकगण, मध्यान्ह भोजन के रसोईये उपस्थित थे।

शादी कार्यक्रम में खुले तारों से बिजली व्यवस्था पर हुई थी दुर्घटना

» मर्ग जांच पर मकान मालिक, टेंट टेकेदार व इलेक्ट्रिशियन पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड के मर्ग क्रमांक 23/19 धारा 174 जा0फौ0 के मृतक भोकोदाउ कंवर पिता स्व0 जगत राम कंवर उम्र 55 वर्ष सा0 कलमी की मृत्युर बिजली करेंट के चपेट में आने से हुई थी। मर्ग जांच पर पाया गया कि गांव में महेत्तर कंवर के लडके परमेश कुमार कंवर का शादी कार्यक्रम दिनांक 8/5/2019 से चल रहा था। शादी मे गांव का अजय डनसेना अपना टेन्ट लगाया था तथा इलेक्ट्रिशियन रमेश साहू सा0 कबीर चौक के माध्यम वायरिंग कराया था। दिनांक 13/5/2019 को परमेश कुमार कंवर का बरात वापस आया था। बाडी में गांव के लोगो के लिये खाना बनाया जा रहा था जिसे देखने गांव का भोको दाउ कंवर बाडी गया हुआ था। इस दौरान टेन्ट मे गडा हुआ लोहे का पाईप को पकडा जो पाईप मे बिजली करेंट आने से उसी मे चिपक कर नीचे गिर गया। उसके बाद भोकोदाउ को जिला अस्पताल ईलाज के लिये लाया गया जहां डाक्टर द्वारा चेक कर उसे फौत होना बताया गया था। जांच पर विद्युत विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें भी मकान मालिक, टेन्ट ठेकेदार एवं इलेक्ट्रिशियन के द्वारा लापरवाहीपूर्वक कटे फटे तार से रोशनी के लिये लगाये गये टेन्ट मे लगे लोहे के पोल मे विद्युत करंट आना पाये जाने पर तीनों अजय डनसेना , रमेश साहू इलेक्ट्रिशियन , महेत्तर कंवर के विरूद्ध अप.क्र. 305/19 धारा 304(ए), 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान 2019 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत के एकता और अखण्डता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान 2019 के लिए ऑनलाईन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह सम्मान भारत के एकता एवं अखण्डता के लिए किए गए अनुकरणीय व प्रेरणादायी योगदान तथा अखण्ड भारत के सशक्त मूल्य को पहचान देने के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्यों व पहल के लिए दिए जायेंगे। 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन प्रविष्टियां www.nationalunityawards.mha.gov.in में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों तथा आवेदक व्यक्ति,संस्थान या संगठन द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के बारे में जानकारी सहित भेज सकते है।

पुसौर राइनो को ग्राम सूपा में मिली कापु थाना क्षेत्र की बालिका

» दिमागी रूप से कमजोर है बालिका, परिजनों को दी गई सूचना

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुसौर राइनो को बूमन रिलेटेड इवेंट प्राप्त हुआ। इवेंट पर पुसौर राइनो में कार्यरत आरक्षक जगजीवन खूंटे, राइनो वाहन चालक के साथ ग्राम सुपा पहुंचा। जहां एक 16 से 18 साल की लड़की उन्हें मिली। लड़की से पूछताछ करने पर सही तरीके से कुछ बता नहीं पा रही थी, दिमागी रूप से कमजोर प्रतीत होने पर राइनो स्टाफ बालिका को थाना लेकर आये। थाने में स्टा फ द्वारा घर, माता-पिता के संबंध में पूछताछ करने पर केवल बैगापारा की हूं कहकर बता रही थी जिस पर थाना प्रभारी पुसौर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को व्हाटसअप ग्रुप में उनके यहां बैगापारा गांव की बालिका होने की जानकारी देते हुये बालिका के फोटोग्राफ्स भेजे। थाना प्रभारी कापू द्वारा उनके थाना क्षेत्र में बैगापारा होना बताये और अपने स्टाफ को ग्राम बैगापारा लड़की के संबंध में जानकारी जुटाने के लिये भेजे। स्टाफ द्वारा ग्राम बैगापारा में लड़की का फोटो दिखाया गया जिससे उसकी पहचान हुई, उसके बाद उसके माता -पिता को सूचित किया गया है जो कापू से बालिका को लेने पुसौर के लिये रवाना हुये है। पुसौर स्टाफ द्वारा बालिका के खाने-पीने आदि की समुचित व्यवस्था की गई है।

नेशनल ट्रायबल डांस फेस्टीवल के क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित नेशनल ट्रायबल डांस फेस्टीवल 2019 के रायगढ़ जिले में क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सदस्य-सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग समिति के सदस्य होंगे। विकासखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग/रेंज आफिसर, अनुविभागीय अधिकारी/उपअभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व मंडल संयोजक आदिवासी विकास समिति के सदस्य होंगे।

बरमकेला व कोतरारोड़ पुलिस ने पकड़ा 25-25 लिटर अवैध महुआ शराब

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरमकेला थाने के सउनि विजय गोपाल को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम तौसिर में रहने वाली रंभा ऊर्फ रिना सागर अपने घर पीछे बाडी मे अवैध शराब बिक्री करने के लिये रखी है। सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम तौसिर में संदेही के घर, बाडी में दबिश दिया गया। आरोपिया के बाड़ी में बने शौचालय अंदर छिपाकर रखा हुआ 25 लिटर कच्ची महुआ शराब एवं शराब बिक्री किया हुआ कुल नगदी रकम 2500 रूपये को जप्त किया गया है। आरोपिया के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 34(1) (क) (2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया ।

वहीं दूसरे मामले में कोतरारोड पुलिस द्वारा दिनांक 17/10/2019 के रात्रि करीब 22:00 बजे किरोडीमल नगर लाईन पारा वार्ड नं0 14 के पास मुखबिर सूचना पर बटटूलाल महंत को मोटर सायकल सी0डी0 डीलक्स सीजी 13 के 1367 में ग्राम अंजोरीपाली थाना खरसिया से कच्ची महुआ शराब अवैध बिक्री के लिये लेकर आते हुये पकड़े। आरोपी बटटू लाल महंत पिता रनदास उर्फ रंगदास उम्र 40 साल सा0 मकरी थाना खरसिया जिला रायगढ हा0मु0 किराये का मकान किरोडीमलनगर के पास से प्लास्टिक जरकिन व बॉटल में रखा हुआ 25 लिटर महुआ शराब एवं उसकी मोटर सायकल को जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

मिट्टी के दियों के संबंध में किसी भी प्रकार की वसूली न करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने दीपावली पर्व पर नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में कुम्हार एवं अंचल के ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दियों के संबंध में किसी प्रकार की वसूली न करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि दीपावली के पर्व पर कुम्हार एवं अंचल के ग्रामवासी मिट्टी के दिये बनाकर इन्हें बाजारों में विक्रय के लिए लेकर आते है। उन्होंने आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया, सारंगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पुसौर, किरोड़ीमलनगर, सरिया, बरमकेला, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा को किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा मिट्टी के दिये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी के दिये विक्रय करने आने वाले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के पुलिस अधीक्षक रायगढ़, सभी एसडीएम एवं सभी तहसीलदारों को

गोबर एवं मिट्टी से निर्मित दियों से रोशन होगी दीपावली

» झाराशिल्प एम्पोरियम तथा नटवर स्कूल रायगढ़ प्रांगण में उपलब्ध हैं दिये

दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश की संस्कृति एवं कला को जीवंत रखने हेतु आमजनों के लिए गौठानों के माध्यम से दिया तैयार कराये गये है। गौठान के गोबर एवं मिट्टी से निर्मित दिये स्थानीय झारा शिल्प एम्पोरियम तथा नटवर स्कूल रायगढ़ प्रांगण में विक्रय किए जा रहे है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी नागरिकों से दीपावली में इन दियों का उपयोग करने के लिए आग्रह किया है।

ट्रायबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा संचालित ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। वर्ष 2019-20 में अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 25 अक्टूबर पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। जिसमें पुरूष अभ्यर्थियों के लिए प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढियारी रायपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। रायगढ़ जिले से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र विद्यार्थी, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ में कार्यालयीन समय पर एक प्रति पासपोर्ट साईज फोटो सहित उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

बालिका को छेड़छाड़ व धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर में नाबालिक बालिका से छेड़खानी व धमकी दिये जाने की रिपोर्ट निरीक्षक अंजना केरकेट्टा चौकी प्रभारी जुटमिल द्वारा दर्ज किया गया है। बालिका के पिता ने बताया कि दिनांक 15.10.19 को बालिका को स्कूल के पास ग्राम जतरी का राजेन्द्र विश्वकर्मा उस पर अश्लील कमेंटस किया जिसकी शिकायत बालिका अपने शिक्षक के पास करने गयी तो राजेन्द्र विश्वकर्मा वहां से भाग गया। जब बालिका स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में राजेन्द्र उसका रास्ता रोककर मेरी क्या शिकायत की हो, तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा कहकर धमकी दिया और छेड़खानी करने लगा।

बालिका घर आकर घटना परिजनों को बतायी और पिता के साथ थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी, रिपोर्ट पर आरोपी राजेन्द्र विश्वकर्मा पिता संतराम विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी जतरी थाना पुसौर के विरूद्ध अप.क्र.188 /19 धारा 354(क)(1)(आई आई), 506, 509, 341-आईपीसी 12 पॉक्सो एक्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लांट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480